



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

उप- क्षेत्रीय कार्यालय

निधि भवन, ए-२सी, सैकटर-२४, नौएडा-२०१३०१ जिला गौतम बुद्ध नगर, (उ० प्र०)

संख्या ४३५३ उ० क्ष० का०/नौएडा/कवरेज/य० पी०/ ४९.११.२ दिनांक २६.०७.१० पंजीकृत/पावती
सेवा में

गैससे Bayas Energy (P) Ltd.
B-10, Sector-3
Noida

विषय - कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उनके अन्तर्गत रचित स्कीमों का
गैससे As above.

महोदय,

१. आपके द्वारा दिनांक [] को प्रेषित विवरण/ आपकी स्थापना का भविष्य स्थापना का भविष्य

निधि निरीक्षक द्वारा दिनांक [२१०७२०१०] को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

(क) गैससे As above उपबन्ध अधिनियम, १९५२ में स्थापनों की श्रेणीयों/अनुसूची-१ में अधिसूचित उद्यम में कार्यरत हैं संस्थान

ने दिनांक [१२०७२०१०] को [२२] श्रमिक/व्यक्ति कार्यरत पाए गए।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं, दिनांक [१२०७२०१०] से स्थायी/अस्थायी रूप से लागू होता है। अगलेरेखों की जाँच अभी की जानी है।

आपकी स्थापना को कोड सं० य०पी० [४९.११.२] आवंटित की जाती है। अधिनियम की धारा १(4) अन्तर्गत रैविचिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपको स्थापना पर लागू करने के लिए आपके पत्र संख्या [] दिनांक [] के सन्दर्भ में मैं आपको स्थापना अर्थात्

आवंटित किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से.....लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और उपबन्ध अधिनियम, १९५२ की धारा-१ उप धारा-४ द्वारा प्रदत्त शर्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर देती।

२. आपकी स्थापना का कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, १९५२ कर्मचारी पेशन स्कीम, १९९५ और निषेप सहबंद बीमा स्कीम, १९७६ के विभिन्न उपलब्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्घृत किया जाना चाहिए।

३. नियोक्त द्वारा अंशदान, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद सहित) और पिर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 10% से 12% की दर से प्रतिमाह देय है। कर्मचारी द्वारा अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के समान होगी। यह भविष्य निधि खाता सं० १ में जमा किया जायेगा। इसमें 8.33% कर्मचारी अंशदान योजना के खाता संख्या 10 में जमा किया जाना है।

(अ) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता आदि, दैनिक, साप्ताहिक, पाविक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।

(ब) प्रत्येक अंशदान की गणना नजदीकी रूपये में अर्थात् 50 पैसे या अधिक को एक रूपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

(स) अंशदान की संगणना हेतु वेतन की मजदीकी रूपये अर्थात् 50 पैसा या अधिक को एक रूपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

४. सदास्य, को देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से वेतन काटें और अंशदान वथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के १५ दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक मे निधि के लेखों में सम्बन्धित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें -

(अ) क० भ० नि० अंशदान क० भ० नि० लेखा सं० में जमा कराया जाए।

(ब) प्रशासकीय प्रभार क० भ० नि० लेखा सं० २ में जमा कराया जाए।

(स) पेशन अंशदान क० भ० नि० लेखा सं० १० में जमा कराया जाए।

टिप्पणी

(i) प्रशासकीय प्रभार की दर १-८-९८ से वेतन, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य गूत्य किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, का 1.10% है जो न्यूनतम ५ रूपये है।

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाए यदि सदस्य कैवेतन से समय पूर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि रखयं जमा करानी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मापलों को छोड़कर जहाँ से वसूली समय पर अकस्मात् गलती अथवा लिपिकीय गतली के कारण नहीं हो सकी।

5 तलिखित लेखा संख्या 1.2 व 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निहोप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा कराये।

- (अ) निक्षेप सहबद्ध बीमा लेखा संख्या 21 – इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य से खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई हो, की कुल राशि को 0.5% होगा।
- (ब) क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22 – इस लेखे में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है कि कुल राशि का 0.01% होगा।

उपरोक्त लेखों अधीत 1.2, 10, 21 और 22 में राशि चालान के माध्यम से जमा कराई जायेगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियां फार्म संख्या 12 के (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

6 आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :

- (i) को ८० निरो स्कीम, 1952 के अन्तर्गत फार्म सं० ९ तथा पै० स्कीम, 1995 – ये रिटर्न केवल कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्टरी/स्थापना को स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाता अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए हैं।
- (ii) को ८० निरो स्कीम और पै० निधि के अन्तर्गत फार्म संख्या २ – ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते हैं।
- (iii) फार्म सं० ५-क – ये दोनों प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
- (iv) फार्म सं० ३-ए – ये फार्म प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म हैं जिसे फैक्टरी स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म ८० निरो में किए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्ट करनी होती है।
- (v) फार्म सं० ६-ए – यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म-३-ए के साथ (फरवरी माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च से अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।
- (vi) फार्म सं० १२-ए – यह अंशदान का मासिक रिटर्न फॉर्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारिख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि के सम्बन्धित चालान की तृतीय प्रति इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।
- (vii) फार्म सं० ५ और १० – यह उन कर्मचारीयों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के द्वौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं। और अगले माह की 15 तारिख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 पैशन निधि स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्ध 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निःशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

8. पैशन निधि अंशदान के साथबद्ध में इहें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्मों में अलग से दिखाकर केवल इस माह से लेखा सं० १० में जमा कराया जाना चाहिए होता है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित से की बकाया राशि को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं० ९ दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि सं० १ में निर्धारित चालानों में जमा करायी जानी और चालान की तृतीय प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि के सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तान्तरित की गई इन प्रतिभूतियों को कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्त्रिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र रसीद भिजाने की व्यवस्था करें।

W/M
मनोरंजन कुमार
(सहायक/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त)

प्रतिलिपि:

1. श्री/ श्रीमती *Sneha Kumar* प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन सुनिरिच्चत करने के लिए प्रेषित की जाती है, उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म-५-क की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त करें। कृपया एक माह के भीतर अन्तिम आवृत्त सम्बन्धी आख्या अवश्य दें।
2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय, (~~यह समझा जाता है कि इस फैक्टरी/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है/ नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अन्तरित किया जाना है।~~) इस गुप्त द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक आमुखियों के साथ नोट किया जाय।
3. ई० डौ० पी० सैल।
4. स० ८० औ० नौएडा।

(सहायक/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त)